FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 173 बी. एन. एस. एस. के अन्तर्गत)

1. **District (जिला):** JAIPUR (WEST) **P.S. (थाना):** CHITRAKOOT **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0382 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 14/10/2026 20:15 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	112(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	338
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	336(3)
5	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	3
6	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	5
7	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	21
8	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	23
9	सूचना प्रौद्दोगिकी (संशोधन) अधिनियम 2000	66(D)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** शनिवार **Date From (दिनांक से):** 01/11/2025 **Date To (दिनांक तक):** 01/11/2025

Time Period (समय अवधि): पहर 1 **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई) Date (दिनांक): 14/10/2026 Time (समय): 00:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 042 Date & Time (दिनांक एवं समय) 14/10/2026 19:55:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1 (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): पूर्वोत्तर, 2.06 किमी Beat No. (बीट सं.) : नेमी नगर

(b)Address(पता): NURCERY CERCILE, chitrakoot jaipur

(c)In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): HARKESH GURJAR

(b) Father's Name (पिता का नाम): KALYAN SHAHAY

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1978 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड,मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान सं.)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BHADAGANV, NANGAL RAJAWTAN, DAUSA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BHADAGANV, NANGAL RAJAWTAN, DAUSA, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): 91-9983741465

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	अज्ञात1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

न्यायालय सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-22, जयपुर महानगर, द्वितीय परिवाद संख्या... 2026 1 हरकेश गुर्जर पुत्र श्री कल्याण सहाय गुर्जर निवासी ग्राम पोस्ट बडागाँव, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा मो. न. 9983741465 2 विनोद मीणा पुत्र श्री देवीलाल मीणा निवासी ग्राम पोस्ट छारेडा, तहसील नागल राजावतान, जिला दौसा मो.न. 9602408340 3जितेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री ललित चन्द गौतम निवासी ग्राम प्यारीबास, पोस्ट मानपुरिया, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा मो.न. 9929807345 4

शक्ति सिंह पुत्र श्री दशरथ सिंह निवासी ग्राम पोस्ट बडागाँव, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा मो.न. 9828884730 5 मुकेश कुमार पुत्र श्री मोहनलाल निवासी ग्राम जैतपुरा पोस्ट चूडियावास, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा मो.न.9784181781 6 सीताराम मीणा पुत्र श्री गोपाल लाल मीणा निवासी ग्राम मलवास, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा मो. न. 9571449143 7 प्रदीप स्वामी पुत्र श्री सोमप्रकाश स्वामी निवासी ग्राम प्यारीबास, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा मो.न. 9829579011 8 हिम्मत सिंह गुर्जर पुत्र श्री रूप सिंह निवासी ग्राम पोस्ट बडागाँव, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा मो.न. 9875252104 9 धर्मराज मीणा पुत्र श्री हरसहाय निवासी ग्राम कोटापट्टी पोस्ट ढिगारिया तहसील लवाण जिला दौसा मो.न. 9610060842 10 राजाराम मीणा पुत्र श्री बाबूलाल निवासी ग्राम राजपुरिया तहसील नागल राजावतान जिला दौसा मो.न. 9680432198 11 महेश कुमार पांचाल पुत्र श्री छगनलाल पांचाल निवासी ग्राम बूरजा पोस्ट कोलीवाडा, तहसील राहुवास जिला दौसा मो.न. 9799473932 12 बंशीलाल योगी पुत्र श्री छोटेलाल निवासी ग्राम सवाईपुरा पोस्ट चुडियावास, तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा मो. न. 7976790955 13 गुट्टीराम गुर्जर पुत्र श्री गंगासहाय गुर्जर निवासी ग्राम पोस्ट चिरावण्डा तहसील नादौती जिला करौली मो.न. 9571923971 प्रतिनिधि परिवादी सभी परिवादियों की ओर से हरकेश गुर्जर पुत्र श्री कल्याण सहाय गुर्जर निवासी ग्राम पोस्ट बडागाँव, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा मो. न. 9983741465 प्रार्थी परिवादीगण बनाम 1 सुरेन्द्र सैनी पुत्र श्री हजारी लाल निवासी बाछडी गुढागोरजी, बाछडी जिला झुन्झुनू। 2 रजत शर्मा पुत्र श्री राम शर्मा निवासी 129 मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर स्थायी निवासी ग्राम पोस्ट सिंगोद कलां तहसील चौमू जिला जयपुर। 3 ईश्वर वर्मा पुत्र श्री सांवरमल वर्मा निवासी श्रीमालों का मोहल्ला वार्ड . 35, झुन्झुनू। 4विजय मौर्य पुत्र श्री भानाराम मौर्य निवासी रैगर मोहल्ला वार्ड न. 4 झुन्झुनू। अप्रार्थी अभियुक्तगण परिवाद अंतर्गत धारा 210 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अपराध अंतर्गत धारा 318 (4) 112(2) 338 336 (3) बी.एन.एस., धारा 3 5 21 23 अनियमित जमायोजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 धारा 66 डी आई. टी. एक्ट 2000 पुलिस थाना चित्रकूट जयपुर श्रीमानजी प्रार्थी परिवादीगण की ओर से परिवाद पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है 1 यह कि परिवादीगण उपरोक्त पते के निवासी हैं। सभी परिवादीगण वर्ष 2023 में अलग अलग समय पर अभियुक्त संख्या 1 सुरेन्द्र सैनी अभियुक्त संख्या 2 रजत शर्मा, अभियुक्त संख्या 3 ईश्वर वर्मा, अभियुक्त संख्या 4 विजय मौर्य से मिले जिन्होने परिवादीगण को XPO.ru नामक बेबसाईट प्लेटफार्म के बारे में बताया, जिनका ऑफिस फ्लेट नम्बर 401 वैशाली टावर द्वितीय नर्सरी सर्किल, वैशाली नगर जयपुर में था। 2 यह कि परिवादीगण को जरिये व्यक्तिगत मुलाकात सेमीनार, मीटींग, सोशल मीडिया प्रचार के माध्यम से बताया कि XPO.ru रूस की बेबसाइट प्लेटफार्म है जो फोरेक्स, सी एफ डी, किप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग करती है जो साप्ताहिक 4 से 5 प्रतिशत तथा मासिक 10 से 15 प्रतिशत प्रोफिट देने का प्रलोभन देकर निवेश हेतु प्रेरित किया गया। परिवादीगण में से काफी लोग अभियुक्तगण के ऑफिस /सेमीनार में गये वहां अभियुक्तगण ने XPO.ru नामक बेबसाईट प्लेटफार्म पर निवेश का प्लान बताया और इसमें पैसा निवेश करने को बोला। अभियुक्तगण ने हमारा विश्वास जीतने के लिए अपने XPO.ru अकाउन्ट के कुछ प्रूफ दिखाए और अपने कुछ स्टेटमेंट दिखाए कि इसमें उच्च रिटर्न प्राप्त होता है। 3 यह कि अभियुक्तगण ने बताया कि यह एक इन्टरनेशनल ट्रेडिंग मंच है जो रूस में वर्ष 2016 से स्थापित है जो निवेश पर 10 से 15 प्रतिशत मासिक तक प्रोफिट देगा। अभियुक्तगण ने स्वंय को XPO.ru ब्रोकिंग कंपनी का प्रतिनिधि बताकर अत्यधिक लाभ प्रतिमाह बोनस रेफरल कमीशन का आश्वासन दिया। अभियुक्तगण ने सेमीनार में मीटिंगों में अपने को XPO.ru ब्रोकिंग कंपनी का प्रतिनिधि नियुक्त किये जाने का सर्टिफिकेट तथा इस वेबसाइट का भारत में सक्षम प्राधिकरण के अन्तर्गत पंजीकृत होने का सर्टिफिकेट दिखाकर परिवादीगण को विश्वास में लिया। अभियुक्तगण ने जयपुर एवं उसके बाहर लोगों के साथ मीटिंग रखी उसमें परिवादीगण को भी बुलाया उन मीटिंगों में इन्होने काफी भरोसा दिलाया एवं कुछ लोगों के प्रूफ दिखाए। अभियुक्तगण ने सेमीनार मीटिंग में चिल्ला चिल्ला कर बोला कि आपका पैसा सुरक्षित निवेश है जो एक लॉक इन पीरियड के बाद वापस आ जायेगा उसकी हमारी गारंटी है. ये ऐसा व्यवसाय है जिसको आप आपके बच्चे भी करेंगे। 4 यह कि इसके पश्चात अभियुक्तगण ने XPO.ru नानक बेबसाईट के लिंक के माध्यम से वेबसाइट पर परिवादीगण के खाते खुलवाये तथा केवाईसी के नाम पर परिवादीगण से उनके पहचान पत्र आधार कार्ड पैन कार्ड लिए। अभियुक्तगण के कहने पर परिवादीगण ने वर्ष

2023 से इसमें निवेश करना शुरू किया तथा बाद में लाखों रूपये बाहर से लोन लेकर इसमें निवेश किये। 5 यह कि परिवादीगण ने अपने-अपने काम के साथ XPO.ru नामक बेबसाईट पर निवेश का कार्य किया। अभियुक्तगण के कहने पर प्रार्थी संख्या 1 ने अपने व अपने परिवारजन के कुल मिलाकर 13 00 000 रूपये अक्षरे तेरह लाख रूपये निवेश किये प्रार्थी संख्या 2 ने अपने व अपने परिवारजन के कुल 16 00 000 रूपये अक्षरे सोलह लाख रूपये का निवेश किया प्रार्थी संख्या 3 ने अपने व अपने परिवारजन के कुल 7 10 000 रूपये अक्षरे सात लाख दस हजार रूपये का निवेश किया प्रार्थी संख्या 4 ने अपने व अपने परिवारजन के कुल 9 00 000 रूपये अक्षरे नो लाख रूपये का निवेश किया प्रार्थी संख्या 5 ने अपने व अपने परिवारजन के कुल 1 60 000 रूपये अक्षरे एक लाख साठ हजार रूपये का निवेश किया प्रार्थी संख्या 6 ने अपने व अपने परिवारजन के कुल 6 00 000 रूपये अक्षरे छ लाखरूपये का निवेश किया प्रार्थी संख्या 7 ने अपने व अपने परिवारजन के कुल 22 00 000 रूपये अक्षरे बाईस लाख रूपये का निवेश किया प्रार्थी संख्या 8 ने अपने व अपने परिवारजन के कुल 6 50 000 रूपये अक्षरे छ लाख पचास हजार रूपये का निवेश किया प्रार्थी संख्या 9 ने अपने व अपने परिवारजन के कुल 7 00 000 रूपये अक्षरे सात लाख रूपये) का निवेश किया, प्रार्थी संख्या 10 ने अपने व अपने परिवारजन के कुल 1 60 000रूपये अक्षरे एक लाख साठ हजार रूपये का निवेश किया प्रार्थी संख्या 11 ने अपने व अपने परिवारजन के कुल 5 00 000 रूपये अक्षरे पांच लाख रूपये का निवेश किया प्रार्थी संख्या 12 ने अपने व अपने परिवारजन के कुल 2 00 000 रूपये अक्षरे दो लाख रूपये का निवेश किया प्रार्थी संख्या 13 ने अपने व अपने परिवारजन के कुल 5 50 000 रूपये अक्षरे पांच लाख पचास हजार रूपये का निवेश किया। 6 यह कि अभियुक्तगण ने लोगों को इकठ्ठा करवा कर मीटिंग ली। जब हम इनकी मीटिंगों में गये तो अभियुक्तगण ने बोला कि टीम बनाइये इससे आपको रैchitrakoot jaipurफरल इनकम होगी। तब हम लोगों ने अपने नीचे अपने रिलेशन वालों को जानने वालों को हमारे साथियों को बताया तो हमारे लोगों ने XPO ru नामक बेबसाईट को ज्वाईन कर उसमें निवेश किया। अभियुक्तगण के कहने से इन लोगों को अभियुक्तगण द्वारा आयोजित की जा रही मीटिंगो सेमीनार का हिस्सा बनाया। उसके बाद उनके नीचे टीम बनती चली गयी। अभियुक्तगण के कहने से XPO ru नामक बेबसाईट में बड़ी राशि निवेश की। 7 यह कि टीम बनने पर अभियुक्तगण परिवादीगण पर दबाव बनाकर अलग अलग टारगेट देने लगे कि इतनी राशि निवेश करने पर टीम को देश और विदेश में ट्यूर करायेंगे। हम में से बहुत से लोगों को इनके साथ विदेश जाने का मौका मिला और कहा कि निश्चिंत होकर पैसा लगाओ जिससे ज्यादा पैसा कमा सको। उस विश्वास के आधार पर हमने व हमारी टीम ने काम किया। हमने इसमें काफी निवेश कर दिया। नवम्बर 2025 से अभियुक्तगण ने निवेशको को ना तो लाभ दिया और ना ही मूलधन वापस किया गया। 8 यह कि अभियुक्तगण ने षणयंत्रपूर्वक एकराय होकर धोखाधड़ी की नीयत से परिवादीगण को XPO ru ब्रोकिंग कंपनी का प्रतिनिधि नियुक्त किये जाने का कूटरचित सर्टिफिकेट तथा इस वेबसाइट का भारत में सक्षम प्राधिकरण के अन्तर्गत पंजीकृत होने का कूटरचित सर्टिफिकेट दिखाकर प्रार्थीगण व अन्य निवेशकों से एक बड़ी राशि निवेश करवाकर हडप कर धोखाधडी कारित की है। अब हमें जानकारी में आया है कि रजत शर्मा विजय मौर्य ईश्वर वर्मा व सुरेन्द्र सैनी द्वारा XPO ru नामक बेबसाइट को वैध अन्तरराष्ट्रिय कम्पनी होने का दावा किया गया तथा स्वंय को उनका ब्रोकर व प्रमोटर बताकर विश्वास में लेकर निवेश करवाया जबकि वास्तविकता में अभियुक्तगण ही उक्त बेबसाईट के निर्माता व नियंत्रणकर्ता है तथा ये अभियुक्तगण रैकेट चलाकर भारत में धोखाधडी कारित कर रहे हैं। 9 यह कि अभियुक्तगण ने प्रार्थीगण व अन्य निवेशकों से प्राप्त राशि को USDT में परिवर्तित कर भारत से भारी मात्रा में धन विदेशों में भेजा है जो आर्थिक अपराध, अनाधिकृत स्कीम का संचालन कर अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम भारतीय न्याय संहिता व विदेशी विनिमय नियमों का उल्लंघन एवं राष्ट्रीय हितों के विरूद्ध किये कृत्य गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। 10 यह कि अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना मथुरा गेट, भरतपुर में भी 3500 करोड की ठगी की एक एफ.आई.आर. दर्ज की गयी जिसका नम्बर 703 2025 है उक्त एफ. आई.आर. दर्ज होने के बाद अभियुक्तगण अपना आफिस बन्द करके गायब हो गये तथा परिवादीगण ने जब अपनी राशि निकालनी चाही तो विदड्रोल ब्लाक कर दिया तथा ओटीपी बन्द हो गया तथा अभियुक्तगण ने परिवादी उनके परिवारजन, मित्रगणों व टीम के सदस्यों से धोखाधड़ी कर राशि हडप करली है। 11 यह कि अभियुक्तगण के द्वारा किया गया उक्त आपराधिक कृत्य धारा 318(4) 112(2) 338 336(3) बी.एन.एस., धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध

अधिनियम 2019 धारा 66डी सूचना एवं प्रौद्योगिक अधिनियम, 2000 के तहत बखूबी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। 12 यह कि अभियुक्तगण के द्वारा परिवादीगण के साथ किये गये उक्त आपराधिक कृत्य की रिपोर्ट दर्ज कराने परिवादीगण दिनांक 28.05.2026 को पुलिस थाना चित्रकूट, जयपुर गये तो ड्यूटी पर उपस्थित अधिकारी ने रिपोर्ट ले ली परन्तु संज्ञेय अपराध होने के बावजूद परिवादीगण की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके पश्चात परिवादीगण ने दिनांक 30.05.2026 को श्रीमान पुलिस उपायुक्त पश्चिम, जयपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की परन्तु उसके बावजूद भी प्रार्थीगण की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई इसलिये प्रार्थीगण को श्रीमान् न्यायालय के समक्ष यह परिवाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। 13 यह कि अभियुक्तगण का ऑफिस पलेट न०401 वैशाली टावर द्वितीय नर्सरी सर्किल वैशाली नगर जयपुर पुलिस थाना चित्रकूट, जयपुर के क्षेत्राधिकार में होने के कारण श्रीमान् न्यायालय को प्रस्तुत परिवाद पत्र को सुनने व निर्णित करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। 14 यह कि परिवाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। 15 यह कि अन्य तथ्य बरवक्त बहस श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जायेंगे। अत परिवाद पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी परिवादीगण का परिवाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर परिवाद को धारा 175 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत पुलिस थाना चित्रकूट, जयपुर को भिजवाया जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 318 (4) 112(2) 338 336(3) बी.एन.एस, धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019, धारा 66 डी सूचना एवं प्रौद्योगिक अधिनियम, 2000 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने व धोखाधडी पूर्वक निवेश करवायी गयी राशि बरामद कर दिलवाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे। जयपुर हस्ताक्षर प्रतिनिधि परिवादी सभी परिवादियों की ओर से दिनांक 25 8 2026 हरकेश गुर्जर जरिये अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह परमार एडवोकेट .... कार्यवाही पुलिस .....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त इस्तगासा धारा 175(3) बीएनएस के तहत श्रीमान न्यायालय सिविल जज एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम न. 22 जयपुर महानगर द्धितीय से परिवादी श्री हरकेश पुत्र श्री कल्याण सहाय जाति गुर्जर उम्र 48 साल निवासी बङा गांव पीएस नांगल राजावतान जिला दौसा के परिवाद पर इस्तगासा जरिये डाक मजमून धारा 318(4) 112(2) 338 336(3) बीएनेस 2023 व धारा 3 5 21 23 अनियनित जमा योजना प्रतिबंध ्धिनियम 2019 व धारा 66 डी आईटी एक्ट 2000 का प्राप्त हुआ जिसकी नकल सीसीटीएनएस कम्प्युटर मे अक्षर स अक्षर की गई । मजमून इस्तगासा से मामला उपरोक्त धाराओ का होना पाया जाने पर श्रीमान डीजी साहब साईबर क्राईम एंव तकनीकी सेवाए राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 28813 दिनांक 24.09.2026व श्रीमान डीसीपी साहब पश्चिम के आदेश क्रमांक 34796-803 दिनांक 25.09.2026 की पालना मे अनुसंधान श्री हेमराज आरपीएस थानाधिकारी साईबर थाना जयपुर कमीश्नरेट को सुपुर्द किया गया । प्रतिया एफआईआर नियमानुसार जारी होगी एक प्रति एफाआईआर मुस्तगीस को निशुल्क दी जावेगी । सीसीटीएनएस कम्प्युटर से एफआईआर नम्हर प्राप्त होने पर अकिंत किये जावेगे । एसडी लेखराज एसआई पीएस चित्रकूट जयपुर । दिनांक 14.10.2026

13 Action taken **Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): HEMRAJ **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Lekhraj Meena
Location: Rajasthan,IN
Date: 14/10/2026 20:20:37

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम):LEKHRAJ MEENA

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1						

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)